भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *194

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करना

***194. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:**

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31 जुलाई, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *194 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य सूची के विषय हैं और इसलिए, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार, महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जैसे संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से अपने प्रस्ताव भेजते हैं और उपलब्ध समग्र वित्तीय संसाधनों (आरई) के आधार पर, भारत सरकार अनुमोदित मानकों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में अनुमोदन प्रदान करती है। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पिछले पाँच वर्षों के आरओपी का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जारी की गई निधियों तथा व्यय का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

एनएचएम के अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम-एबीएचआईएम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 32,961.10 करोड़ रु. की राशि भी अनुमोदित की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण घटकों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत 59,811.80 करोड़ रु. की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गई।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27	
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.84	40.71	49.99	44.41	44.41	48.48	18.11	3.70
2	आंध्र प्रदेश	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82	1,162.85	2,764.51	348.00	217.60
3	अरुणाचल प्रदेश	404.55	399.44	388.86	472.93	349.93	411.14	94.77	1.54
4	असम	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54	2,318.22	2,601.84	563.71	177.20
5	बिहार	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31	2,508.99	4,287.22	763.33	437.77
6	चंडीगढ़	30.58	31.85	43.43	37.29	50.53	49.53	4.38	6.32
7	छत्तीसगढ़	875.80	1,743.79	969.11	1,784.09	1,159.42	2,121.60	280.23	99.47
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	39.92	41.96	40.96	40.47	49.12	43.02	4.74	3.63
9	दिल्ली	150.54	338.41	240.39	365.44	346.34	547.04	41.00	38.95
10	गोवा	48.97	84.53	55.06	95.17	51.20	90.20	8.87	7.51
11	गुजरात	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15	1,362.72	2,757.10	466.99	255.60
12	हरियाणा	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06	636.01	1,402.07	192.21	141.48
13	हिमाचल प्रदेश	470.36	629.76	523.70	654.52	572.05	653.43	83.94	47.74
14	जम्मू और कश्मीर	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30	1,017.14	1,180.71	163.53	74.61
15	झारखंड	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59	984.57	1,873.32	157.56	42.09
16	कर्नाटक	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23	1,268.26	2,513.61	377.21	167.47

17	केरल	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88	813.16	1,743.43	354.40	258.05
18	लद्दाख	120.44	119.67	135.98	150.50	142.24	138.98	35.71	9.63
19	लक्षद्वीप	3.79	7.10	9.68	10.00	12.94	10.40	3.92	1.84
20	मध्य प्रदेश	2,545.68	5,202.61	2,430.91	5,225.77	3,047.35	5,628.05	842.13	541.27
21	महाराष्ट्र	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86	2,496.92	5,149.77	946.48	511.05
22	मणिपुर	169.12	159.32	279.16	295.79	255.54	366.92	10.11	1.10
23	मेघालय	261.39	305.83	297.95	393.01	336.52	377.57	57.03	11.92
24	मिजोरम	134.42	179.84	159.96	174.67	179.13	206.88	16.22	1.02
25	नागालैंड	184.84	196.69	204.47	243.60	187.95	228.10	43.03	1.03
26	ओडिशा	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01	1,760.71	4,330.21	458.98	258.52
27	पुदुच्चेरी	30.80	45.74	26.27	49.27	30.83	56.40	7.00	0.51
28	पंजाब	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72	724.47	1,146.42	234.91	90.36
29	राजस्थान	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33	2,360.80	4,540.21	456.70	220.62
30	सिक्किम	68.17	75.77	81.67	89.59	99.18	117.93	13.06	0.21
31	तमिलनाडु	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74	1,714.44	3,191.61	571.60	163.88
32	तेलंगाना	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42	868.92	1,452.06	243.99	127.75
33	त्रिपुरा	264.31	309.62	268.67	279.35	331.00	382.15	55.97	27.64
34	उत्तर प्रदेश	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16	5,686.12	11,069.32	1,584.74	675.28
35	उत्तराखंड	711.33	709.79	604.05	760.15	620.69	722.30	271.72	104.08
36	पश्चिम बंगाल	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07	1,324.66	3,588.42	349.09	223.74

नोट:

1. उपरोक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्गत दिनांक 13.07.2026 तक अद्यतित किया गया है और यह अनंतिम है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य द्वारा निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि की तुलना में व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है। व्यय को दिनांक 31.05.2026 तक अद्यतित किया गया है।
